पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण

डॉ0 स्वाति कुमारी

वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था में महिला आरक्षण की उपयोगिता एवं प्रासांगिकता है। सदियों से दोषपूर्ण सामाजिक अव्यवस्थाओं की शिकार महिलाओं के कल्याण हेतु, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिये एवं महिला अत्याचारों पर लगाम कसने हेतु महिला आरक्षण की बात की जाती है लेकिन हमने कभी यह सोचा है कि क्या आरक्षण मिलने मात्र से महिलाओं की स्थिति सुधर जायेगी या उनके प्रति हो रहे अत्याचारों में कमी आयेगी।

हमारे पुरुष प्रधान समाज ने हजारों वर्षों से वगैर किसी महिला आरक्षण के ऐसी महान नेत्रियाँ प्रदान की है जिन्होने समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। प्राचीन काल से ही सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्तरों पर महिलाओं को राजनैतिक क्रियाकलापों से दूर रखा गया है। आधुनिक काल में समानता एवं समाजवाद के प्रभावों के परिणामस्वरूप कुछ हद तक महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में उदारता देखी गयी। इसके फलतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महिलाओं ने राजनीति में दिलचस्पी दिखाई। राष्ट्रीय स्तर पर महान नेत्रियों जैसे एनीबेसेन्ट, सरोजिनी नायडू, अरूणा आसफअली, मैडम भीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी एवं क्षेत्रीय स्तर पर रूकमणी बाई, भवानी बाई, पार्वती बाई, अनसुईया बाई, दुर्गा बाई एवं कमला चट्टोपाध्याय आदि महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित व प्रभावित किया।